

भारत की छठी लघु सिचाई गणना

प्रलिमि्स के लिये:

लघु सिचाई गणना, लघु सिचाई योजनाएँ

मेन्स के लिये:

सिचाई से संबंधित पहल, लघु सिचाई गणना का महत्त्व

सरोत: पी. आई. बी.

चर्चा में क्यों?

जल शक्ति मंत्रालय ने पूरे भारत में सिचाई प्रथाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लघुसिचाई योजनाओं (संदर्भ वर्ष 2017-18 के साथ) पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की।

अब तक क्रमशः संदर्भ वर्ष 1986-87, 1993-94, 2000-01, 2006-07 और 2013-14 के साथ पाँच गणनाएँ की गई हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख बिदु:

- कुल लघु सिचाई योजनाएँ:
 - ॰ देश में कुल 23.14 मलियिन लघु सचिाई (MI) योजनाएँ बताई गई हैं।
 - ॰ इनमें से 21.93 मलियिन (94.8%) भूजल (GW) और 1.21 मलियिन (5.2%) सतही जल (SW) योजनाएँ हैं।
- योजनाओं के प्रमुख प्रकार:
 - ॰ **लघु सचिँाई योजनाओं में खोदे गए कुओं की हसि्सेदारी सबसे अधिक है,** इसके बाद कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल
 - ॰ पाँचवी गणना की तुलना में **छठी लघु सचिाई गणना के दौरान लघु सचिाई योजनाओं में लगभग 1.42 मलियिन की वृद्ध**ि हुई है।
 - राष्ट्रीय स्तर पर भूजल और सतही जल स्तर की योजनाओं में क्रमशः 6.9% और 1.2% की वृद्धि हुई है।
- MI योजनाओं में अग्रणी राजय:
 - ॰ भारत में **MI योजनाओं में उत्तर प्रदेश अग्रणी है** तथा इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमलिनाडु का स्थान है।
 - ॰ खोदे गए कुओं, सतही परवाह और सतही लिफिट योजनाओं में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है।
 - ॰ **उत्तर परदेश, करनाटक और पंजाब** क्रमशः उथले ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल के मामले में अगुरणी राज्य हैं।
 - ॰ SW योजनाओं में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड की हिस्सेदारी सबसे अधिक है।
- स्वामतिव वशिलेषणः
 - ॰ लगभग 96.6% MI योजनाएँ निजी स्वामित्व के अधीन हैं।
 - GW योजनाओं में निजी संस्थाओं का स्वामित्व 98.3% है एवं SW योजनाओं में यह हिस्सेदारी 64.2% की है।
 - ॰ पहली बार MI योजना के हिस्सेदारों के लिंग पर डेटा एकत्र किया गया था।
 - वयकृतगित स्वामतिव वाली 18.1% योजनाओं का स्वामतिव महलाओं के पास है।
- वित्तपोषण और स्रोत:
 - ॰ लगभग 60.2% योजनाओं का वित्तपोषण एकल स्रोत से किया जाता है।
 - व्यक्तिगत किसानों की स्वयं की बचत, एकल-स्रोत वित्तपोषण (79.5%) में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
 - 39.8% योजनाओं में वित्त के एक से अधिक स्रोत हैं।

लघु सिचाई योजनाः

- लघु सिचाई योजना एक प्रकार की सिचाई परियोजना है जो 2,000 हेक्टेयर तक के कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (CCA) की सिचाई के लिये सतही जल या भूजल का उपयोग करती है।
 - ॰ CCA ऐसा क्षेत्र है जो खेती के लिये उपयुक्त होता है और योजना के तहत सचिति किया जा सकता है।
- लघु सचिाई योजनाओं को दो परमुख शरेणियों और छह उप-शरेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
 - भूजल (GW) योजनाओं में खोदे गए कुएँ, उथले ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल शामिल हैं।
 - सतही जल (SW) योजनाओं में सतही प्रवाह और सतही लिफ्ट योजनाएँ शामिल हैं।
- लघु सिचाई योजनाएँ किसानों को नियंत्रित और समय पर सिचाई सुविधा प्रदान करती हैं जिसमें बीजों की नई उच्च उपज वाली किसमों की मांग होती है। ये योजनाएँ श्रम प्रधान, कम कार्यान्वयन अवधि वाली होती हैं और इन्हें शुरू करने के लिये उचित निवेश की आवश्यकता होती है।

सिचाई से संबंधित सरकार द्वारा की गई पहलें:

- <u>प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (PMKSY)</u>
- प्रतिबुँद अधिक फसल
- मशिन काकतीय

